छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 157/2008

1. **श्री सुरेश नखत,** — *अपीलार्थी*
   डोंगरगांव,
   जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** — *प्रति अपीलार्थी*
   कार्यालय- वन मण्डलाधिकारी,
   खैरागढ़ वनमण्डल,
   खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 24 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री सुरेश नखत, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 27.08.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए वन मण्डलाधिकारी, खैरागढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.10.2007 द्वारा 30 दिवस के अन्दर नि:शुल्क जानकारी देने के निर्देश दिये गये और उत्तरदायी कर्मचारी से लापरवाही बरतने के कारण व्यय राशि वसूलने के आदेश भी दिये गये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी समय पर नही दिये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी, खैरागढ़ को अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी दिये जाने के कारण दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उन्होंने बताया कि न्यूनतम दर के आधार पर ही कय किया गया था और अपीलार्थी द्वारा फर्म की स्थापना, खाता कमांक, सत्यापन का दिनांक आदि की जानकारी माँगे जाने पर कार्यालय में नही होने के कारण समय-सीमा में नही दी जा सकी और आवेदक को प्रथम अपील के आदेश के बाद नि:शुल्क जानकारी दी जाकर स्टोर शाखा प्रभारी से राशि 900/- रूपये वसूल किये गये तथा बाद में अपूर्ण जानकारी के बारे में आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 16.04.2008 को पूर्ण जानकारी भेजी जा चुकी है । इस संबंध में चूंकि वन मण्डलाधिकारी द्वारा जानकारी देने के निरंतर प्रयास किये गये हैं और प्रथम अपीलीय

अधिकारी के आदेश के बाद उनके द्वारा जानकारी दी गई है । चूंकि जानकारी बहुत अधिक विस्तृत थी और अपीलार्थी को भी कालम में जो प्रविष्ठियॉं की गई है, उसको समझने में भ्रम हुआ है, अत: उपरोक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नही होने के कारण किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, अत: जारी किया गया शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु भविष्य के लिए निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी को दी गई जानकारी के बारे में भ्रम हो तो संबंधित रिकार्ड का निरीक्षण कराया जावे और चर्चा में उनके भ्रम को दूर किया जावे तो उचित होगा । साथ ही प्रकरण में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी एवं विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त